न्यायालय–सिविल जज(सीनियर डिवीजन)बॉदा।

प्रकीर्णवाद संख्या–75 / 70 / 2019

विनीत सिंह आदि बनाम रामऔतार निषाद आदि

10.10.2019

पत्रावली प्रस्तुत। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र 4ग2 अंतर्गत धारा 80 (2) जा0 दी0 पर सुना गया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थनापत्र 4ग2 अंतर्गत धारा 80(2) जा0दी0 मय शपथपत्र 5ग इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण मौजा लड़ाकापुरवा जेड एरिया तहसील व जिला बांदा में स्थित गाटा संख्या–2546 रकबा 0.0700हे0 गाटा संख्या 2544 मि0रकबा 0.530हे0 व गाटा संख्या 2545 मि0 रकबा 0.0350, गाटा संख्या 2558 मि0 रकबा 0.0880,गाटा संख्या 2559 मि0 रकबा 0.1040हे0 कुल पांचकिता कुल रकबा 0.3500हे0 के संक्रमणीय भूमिधर काबिजदखील हैं जिसे दिनांक 13.12.2018 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा विपक्षी सं. 4 की उपस्थिति में कराकर कब्जादखल प्राप्त कर लिया और आज भी काबिज दखील हैं। दिनांक–20.9.2019 को विपक्षी सं.1 लगायत 3 द्वारा प्रार्थीगण की भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से पत्थर गाड़ने की जानकारी मिलने पर प्रार्थीगण विपक्षीगण से मिले लेकिन विपक्षीगण ने कोई तवज्जो नहीं दी और प्रार्थीगण के द्वारा गड़वाये गये पिलरों को जल्द से जल्द हटवा लेने न हटवाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने व कब्जा कर निर्माण बाउन्डरी आदि करवाने की धमकी दी। यदि विपक्षीगण को धारा 80 जा0दी0की नोटिस देकर म्याद के इंतजार के बाद वाद दायर किया गया तो विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन कब्जा कर लेंगे और अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे जिससे प्रार्थीगण का सख्त नुकसान व हकतलफी होगी। अतः बिना दफा 80 जा.दी.की नोटिस दिये ही वाद दायर करने की इजाजत प्रदान करने की कृपा की जाये।

विपक्षीगण की ओर से आपत्ति दाखिल की गई है जिसके माध्यम से कथन किया गया कि जनपद बांदा में आक्सीजन पार्क के निर्माण के संबंध में राजकीय भूमि का चयन किया गया है जिसमें प्रार्थीगण की कोई भी भूमि प्रभावित नहीं हो रही है। प्रार्थीगण को कोई अर्जेण्सी नहीं है। चयनित भूमि की नियमानुसार नाप कराई गई है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से अपने कथन के समर्थन में बैनामा, खतौनी, खसरा व नक्शा की छाया प्रतियां दाखिल की गई हैं। अतः मामले के तथ्यों एंव परिस्थितियों को देखते हुए मामला अर्जेण्ट प्रकृति का प्रतीत होता है और प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र 4ग2 तद्नुसार स्वीकार किय जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4ग2 अंतर्गत धारा–80(2)जा0दी0स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को प्रतिवादीगण को धारा 80सी0पी0सी0की नोटिस दिये बिना प्रस्तुत स्थाई ब्यादेश वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। वाद मूलवाद के रूप में दर्ज रजिस्टर हो।

(भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता)
सिविल जज(सीनियर डिवीजन)
बॉदा।
10.10.2019